न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल, भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी	–	अंजना अग्रवाल, RJS
फौजदारी प्रकरण संख्या	–	91/2017
सी.आई.एस. नम्बर	–	91/2017
CNR No.	–	RJBW170000922017

सुरेशचंद्र सुथार पुत्र रामपाल जी सुथार, उम्र वयस्क निवासी बाजिया की खेड़ी, तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा।

–– परिवादी

– विरूद्ध –

अर्जुन पुत्र मदनलाल सरगना, उम्र वयस्क निवासी धुंवाला (क), तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

––––मुलजिम

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री यतिंद्र चौधरी, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

– निर्णय – **दिनांक– 19–03–2026**

1– प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी सुरेशचंद्र द्वारा न्यायालय मे दिनांक 21.01.2017 को अभियुक्त अर्जुन के विरूद्ध एक परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त अभियोगी का पूर्व परिचित है। अभियुक्त ने उसे घरेलू खर्च हेतु रूपयों की आवश्यकता बताकर 85,000 रूपये उधार लिए जिसकी अदायगी हेतु अभियुक्त ने उसे एक चैक क्रमांक 961183 तादादी 85,000/– रुपये दिनांकित 25.09.2016 का बैकर्स स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा हरिपुरा चौराहा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा का दिया। परिवादी ने चैक में वर्णित राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु उक्त वर्णित चैक को पंजाब नेशनल बैंक शाखा भोपालगंज भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे अभियुक्त के बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से चैक मय बैंक मैमो के फंड इनसफिशियंट के पृष्ठांकन के साथ दिनांक 08.12.2016 को लौटा दिया गया। अभियोगी द्वारा दिनांक 17.12.2016 को अभियुक्त को अपने अधिवक्ता के जरिये एक पंजीकृत सूचना पत्र प्रेषित किया। अभियुक्त को सूचना पत्र प्राप्त हो गया। इसके उपरांत भी अभियुक्त ने चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया है। अंत में उक्त राशि मय प्रतिकर के अभियुक्त से अभियोगी को दिलाई जाकर अभियुक्त को उसके आपराधिक कृत्य की सख्त से सख्त सजा दिलाये जाने का निवेदन किया।

2– दिनांक 08.06.2017 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का प्रसंज्ञान लिया गया और दिनांक 17.04.2017 को अभियुक्त के उपस्थित होने पर उक्त अपराध का आरोप सारांश पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3– साक्ष्य परिवादी मे परिवादी सुरेशचंद्र की ओर से स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 1 के

रूप में प्रस्तुत हुआ एवं साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श पी 1 चैक, प्रदर्श पी 2 रिटर्न मीमो, प्रदर्श पी 3 नोटिस, प्रदर्श पी 4 डाक रसीद व प्रदर्श पी 5 पावती रसीद को प्रदर्शित करवाये गये।

4– अभियुक्त के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन लेखबद्व किये गये तो उसने परिवादी की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होकर झुठा फसाये जाने का कथन किया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

5– अभियुक्त ने धारा 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत राशि 10,000/– रूपये की जमानत एवं इसी राशि का मुचलके इस आशय के पेश किये गये कि वह अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाएगा।

6– उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क रहा है कि अभियुक्त ने परिवादी से 85,000/–रुपये उधार लिए थे, जिसकी अदायगी पेटे चैक दिया था, जो कि अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि होने से अनादरित हुआ है। परिवादी अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम अपनी साक्ष्य के माध्यम से सन्देह से परे साबित करने मे सफल रहा है। अभियुक्त ने परिवादी को गाडी के फाईनेंस हेतु चार चैक सिक्योरिटी हेतु देना बताया है परंतु अभियुक्त द्वारा गाडी लेने व उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। परिवादी ने स्पष्ट रूप से उसका अभियुक्त के साथ फाईनेंस के संबंध में कोई इकरारनामा नहीं होने व उनके फाईनेंस का कोई विवाद नहीं होने का कथन किया है। अभियुक्त की ओर से परिवादी के पक्ष मे की गई उपधारणा को खण्डित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अंत में अभियुक्त को प्रकरण मे दोषसिद्व किए जाने का निवेदन किया।

8– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिये कि परिवादी ने अभियुक्त को गाडी की फाईनेंस कराने हेतु कहा था। अभियुक्त ने परिवादी को सिक्योरिटी पेटे चार चैक दिए थे। परिवादी द्वारा चैकों का दुरूपयोग किया गया है। परिवादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि चैक इबारत उसने भरी है। ऐसे में परिवादी अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम को अपनी साक्ष्य के माध्यम से सन्देह से परे साबित करने मे असफल रहा है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

9– उभयपक्ष की बहस पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

10– इस प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है –

पहला– क्या अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे परिवादी को चैक संख्या 961183 दिनांकित 25.09.2016 तादादी 85,000/–रूपये का स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा हरिपुरा का दिया जो परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर " Funds Insufficient " के पृष्ठांकन के साथ बिना भुगतान किये लौटा दिया, जिस पर परिवादी ने विहित समयावधि मे अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा, लेकिन अभियुक्त ने विहित समयावधि मे चैक राशि का भुगतान नही किया ?

दूसरा– यदि हॉ तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या है ?

11– उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध मे परिवादी सुरेशचंद्र पी.डब्ल्यू. 1 की ओर से प्रस्तुत मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र एवं दस्तावेजीय साक्ष्य द्वारा बताया गया है कि अभियुक्त

उसका पूर्व परिचित है। अभियुक्त ने उसे घरेलू खर्च हेतु रूपयों की आवश्यकता बताकर 85,000 रूपये उधार लिए जिसकी अदायगी हेतु अभियुक्त ने उसे एक चैक क्रमांक 961183 तादादी 85,000/– रुपये दिनांकित 25.09.2016 का बैकर्स स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा हरिपुरा चौराहा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा का दिया। उसने चैक में वर्णित राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु उक्त वर्णित चैक को पंजाब नेशनल बैंक शाखा भोपालगंज भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे अभियुक्त के बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से चैक मय बैंक मैमो " Funds Insufficient " के पृष्ठांकन के साथ दिनांक 08.12.2016 को लौटा दिया गया। अभियोगी द्वारा दिनांक 17.12.2016 को अभियुक्त को अपने अधिवक्ता के जरिये एक पंजीकृत सूचना पत्र प्रेषित किया। अभियुक्त को सूचना पत्र प्राप्त हो गया। इसके उपरांत भी अभियुक्त ने चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया है। अपने कथनों के समर्थन मे दस्तावेज प्रदर्श पी 1 चैक, प्रदर्श पी 2 रिटर्न मीमो, प्रदर्श पी 3 नोटिस, प्रदर्श पी 4 डाक रसीद व प्रदर्श पी5 पावती रसीद को पेश कर प्रदर्शित करवाये गये। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई।

12– गवाह पी०ड०–1 सुरेशचंद्र परिवादी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि वह सन् 2016 से डेयरी फार्म का काम कर रहा है। अभियुक्त उसके घर पर आया रूपयो की आवश्यकता बताकर पैसे लेकर गया। अर्जुन लाल उसके पिताजी का परिचित था। चैक 25 सितम्बर 2016 की दिनांक का दिया था। उसके घर पर रूपये लेने आया था वही पर उसने चैक दिया। यह सही है कि उनके और गाडी फाईनेन्स का कोई विवाद नही है। उसने सुरेश के साथ गाडी फाईनेन्स के संबंध में कोई इकरारनामा नहीं किया। उनके चैक के संबंध में कोई लिखापढी नहीं की गई। यह सही है कि चैक अमाउन्ट उसने ही भरा। अज खुद कहा उसके बाद हस्ताक्षर अर्जुनलाल ने किये थे। यह सही है कि चैक की इबारत व हस्ताक्षर अलग–अलग पेन से है। यह चैक उसने 08.12.2016 के आसपास लगाया था। रिटर्न लगाने के एक–दो दिन बाद प्राप्त हो गया था। रिटर्न होने के 6–7 दिन बाद वकील साहब से मिलकर नोटिस दिलवाया था। उसका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। उसने चैक भीलवाडा ब्रान्च में लगाया था। उसके पिताजी उसको चैक दिया तब उसके साथ थे। अर्जुन अकेला था। उसके द्वारा दो भैंस बेची गई थी, उस पैसे में से 85,000 रूपये उसने अभियुक्त को दिये थे। बैंक से रिटर्न का कारण खाते में रूपये नहीं होना था। डेयरी फार्म व्यवसाय का अकाउन्ट नही रखता है। वह इनकम टैक्स रिटर्न उस टाइम नहीं भरता था। उसके द्वारा प्रेषित नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया था। यह सही है कि शपथपत्र पी डब्ल्यू 1 के पैरा सं. 3 में ए से बी भाग लिखा गया है जो अंकन त्रुटि से लिख दिया गया है। यह सही है कि उसने पढ़कर हस्ताक्षर किये हैं। यह सही है कि उसने ए से बी भाग प्रदर्श 1 का पढ़ा लेकिन समझ नहीं पाया था। प्रदर्श के सी से डी भाग टंकन त्रुटि से लिखा गया है बल्कि उसे नोटिस प्राप्त हो गया था। यह सही है कि मूल ही लिफाफा एडी पत्रावली में पेश नहीं है।

13– अभियुक्त अर्जुन ने साक्ष्य सफाई में स्वयं को डीडब्ल्यू 01 के रूप में पेश किया व मुख्य परीक्षा के दौरान कथन किया कि उसने सुरेशचंद्र से गाड़ी ली थी, इसलिए वह उसे जानता है। उसने गाड़ी देवगढ़ से ली थी। गाडी की कीमत क्या थी उसे पता नहीं। सुरेश ने कहा कि गाड़ी का फाइनेंस करवा देगा। जिसके बदले उसने सुरेश को 4 चैक बतौर सिक्योरिटी दिये थे। गाड़ी लेने के बाद सुरेशचंद की उससे एक बार ही मुलाकात हुई। फिर सुरेशचंद्र ने चैक लगा दिया। सुरेशचंद्र ने उसके सिक्योरिटी चैक का उपयोग कर लिया। उसने सुरेश के रिश्तेदारों को चारों चैक दिये थे, सुरेश बाद में आया था।

14- गवाह डीडब्लयू 01 अर्जुन ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि चैक प्रदर्श पी 1 पर ए से बी हस्ताक्षर उसके हैं। उक्त चैक प्रदर्श पी 1 सुरेश को देने के लिए सुरेश के रिश्तेदारों को दिया था। यह बात सही है कि सुरेश ने उसके खाते में लगाया, लेकिन उसके खाते में पूरे रूपये नहीं होने से चैक रिटर्न हो गया। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 3 पंजीकृत डाक सूचना पत्र अपने वकील के मार्फत उसे भिजवाया था। यह बात सही है कि उक्त रजिस्टर्ड सूचना पत्र उसे प्राप्त हो गया था, लेकिन ना तो उसने सूचना पत्र में वर्णित राशि का भुगतान किया और ना ही उसने उक्त सूचना पत्र का जवाब दिया। यह बात सही है कि उसने आज दिन तक सुरेश चंद्र को प्रदर्श पी 1 चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया है। यह बात सही है कि उसने गाड़ी लेने का व उसे फाइनेंस कराने से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया।

15- अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 को साबित करने के लिए निम्न बिन्दु को साबित किया जाना आवश्यक है-

पहला- क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक ऋण या किसी अन्य दायित्व के उनमोचन के संबंध मे विवादित चैक दिया गया ?

दूसरा- क्या हस्तगत मामले मे परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रावधानो की पूर्णतः पालना हुई है ?

तीसरा- क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक की राशि का भुगतान नही किया गया?

पहला-

16- **"क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक ऋण या किसी अन्य दायित्व के उनमोचन के संबंध मे विवादित चैक दिया गया ?"** इस सबंध मे पत्रावली पर आई साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण किया जावे तो परिवादी ने अपने परिवाद, मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा मे स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त ने परिवादी से रूपयों की आवश्यकता हेतु उधार ली गई राशि की अदायगी के पेटे विवादित चैक अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर कर जारी किया। दौराने प्रतिपरीक्षा उक्त गवाह पी०ड०-1 सुरेशचंद्र जो कि स्वयं परिवादी है, अपने मुख्य परीक्षा मे किये गये कथनों पर अडिंग रहा है लेश मात्र भी विचलित नहीं होकर विवादित चैक को अभियुक्त द्वारा उधार ली गई राशि चुकाने के पेटे दिया जाना बताया है तथा बचाव पक्ष द्वारा उक्त गवाह/परिवादी से प्रतिपरीक्षा मे ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी1 पर अभियुक्त अर्जुन के हस्ताक्षर नहीं हो अथवा प्रश्नगत चैक अभियुक्त अर्जुन द्वारा परिवादी से उधार ली गयी राशि की अदायगी पेटे नहीं दिया गया हो।

17- इस प्रकार अभियुक्त की ओर से परिवादी से की गई प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से उधार ली गई राशि के संबंध में प्रश्नगत चैक जारी किये जाने के तथ्य का खण्डन होता हो।

18- प्रकरण में अभियुक्त द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि प्रश्नगत चैक पर विवादित हस्ताक्षर उसके नहीं हो। गवाह डीडब्ल्यू 01 अर्जुन ने दौराने जिरह स्पष्ट रूप से स्वीकारा है कि चैक प्रदर्श पी 01 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 1881 के तहत जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जावे तब तक परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रतिफल के विषय में, उस पर पडी तारीख के विषय में, प्रतिग्रहण के समय के बारे मे, उसके अन्तरण के समय के बारे में, उस पर विद्यमान पृष्ठाकंन के क्रम के बारे में,

परक्राम्य लिखत अधिनियम के स्टाम्प के बारे मे व धारक का सम्यक अनुक्रम धारक होने के संबंध मे उपधारणाएं है। धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत यह भी उपधारणा है कि चैक के धारक ने धारा 138 मे उल्लेखित किसी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए चैक प्राप्त किया था।

19– AIR 2010 SC 1898 Rangappa Vs. Mohan के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 139 की उपधारणा परक्राम्य लिखत को विधितः प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के संबंध में जारी किये जाने को भी सम्मिलित करते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श पी 1 चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने से यह उपधारणा आकर्षित होती है कि अभियुक्त ने विधितः प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व से उन्मोचित होने के लिये परिवादी के पक्ष में प्रदर्श पी 1 चैक जारी किया और परिवादी इस चैक का सम्यक् अनुक्रम में धारक है। साथ ही इस तथ्य की स्पष्ट उपधारणा है कि अभियुक्त ने प्रदर्श पी 1 चैक विधितः प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व से उन्मोचन के लिये परिवादी के पक्ष में जारी किया था। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 व 118 के तहत लिखी जाने वाली उपधारणाएँ निश्चयात्मक प्रकृति की नहीं है, खण्डनीय प्रकृति की है, दोनों उपधारणाओं के प्रारंभ में, ''जब तक कि प्रतिकूलतः साबित नहीं कर दिया जाता'' एवं ''यदि तत्प्रतिकूल साबित न हो'' शब्दों का प्रयोग किया है। उपधारणाओं को खण्डित करने का भार अभियुक्त पर है।

20– 2012 (4) CJ (CRI) (RAJ) 1816 Harjindra Singh Vs. Smt. Ravindra Kaur के प्रकरण में माननीय राज० उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत उपधारणा की प्रकृति निश्चयात्मक न होकर खण्डनीय प्रकृति की है तथा उपधारणाओं को खण्डित करने का भार अभियुक्त पर होता है लेकिन यह इतना कठिन नहीं है, जितना कि अभियोजन पर अपना मामला प्रमाणित करने का होता है। अभियुक्त संभाव्यता के आधार पर उपधारणाओं का खण्डन कर सकता है। यदि अभियुक्त एक संभाव्य प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है, जो विधित: प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व की विद्यमानता पर संदेह उत्पन्न करता है तो अभियोजन विफल हो जाता है।

21– अब न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना है कि क्या अभियुक्त सम्भाव्य प्रतिरक्षा स्थापित करने मे समर्थ हुआ है जो विधितः प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व की विद्यमानता संदेह उत्पन्न करती है। यदि इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तो चैक के सम्यक अनुक्रम मे परिवादी के पक्ष मे की जाने वाली उपधारणाओं का खण्डन होता है।

22– अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि परिवादी सुरेश ने अभियुक्त को बोला था कि वह गाडी का फाईनेंस करवा देगा। अभियुक्त अर्जुन ने चार चैक सिक्योरिटी पेटे परिवादी को दिए हैं। परिवादी सुरेश ने अर्जुन द्वारा सिक्योरिटी पेटे दिए गए चैकों का दुरूपयोग किया है। अधिवक्ता अभियुक्त के उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर है कि गवाह डीडब्लयू 01 अर्जुन ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सुरेश ने कहा कि गाडी का फाईनेंस करवा देगा जिसके बदले उसने सुरेश को चार चैक बतौर सिक्योरिटी दिए थे। उक्त गवाह ने आगे मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसने सुरेश के रिश्तेदारों को चारों चैक दिए थे, सुरेश बाद में आया था। इस प्रकार अभियुक्त ने मुख्य परीक्षा में एक तरफ तो चार चैक परिवादी सुरेश को देने का कथन किया है वहीं दूसरी तरफ बाद में चार चैक परिवादी सुरेश के रिश्तेदारों को देने के कथन कर न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी कथन किए हैं। इसी

संबंध में परिवादी के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 01 परिवादी ने दौराने जिरह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त उसके घर पर आया। रूपयों की आवश्यकता बताकर पैसे लेकर गया। चैक 25 सिंतबर 2016 की दिनांक का दिया था। उसके घर पर रूपये लेने आया वहीं पर उसे चैक दिया। यह सही है कि उनके और गाडी फाईनेंस का कोई विवाद नहीं है। उसने सुरेश के साथ गाडी फाईनेस के संबंध में कोई इकरारनामा नहीं किया। उनके चैक के संबंध में कोई लिखा पढी नहीं की। इस प्रकार परिवादी ने दौराने जिरह स्पष्ट रूप से अभियुक्त के द्वारा उधार रूपयों के बदले उसे चैक देने का कथन किया है साथ ही उक्त गवाह ने दौराने जिरह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके और अभियुक्त के मध्य गाडी फाईनेंस का कोई विवाद नहीं है। अभियुक्त ने दौराने जिरह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि उसने गाडी लेने का व उसे फाईनेंस कराने से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट नही है कि यदि परिवादी द्वारा अभियुक्त को गाडी फाईनेंस कराने हेतु कहा गया तो इस संबंध में अभियुक्त द्वारा फाईनेंस से संबंधी दस्तावेज, कोई इकरारनामा न्यायालय के समक्ष पेश क्यों नहीं किया। अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसके द्वारा फाईनेंस हेतु चार चैक परिवादी को क्यों दिए गए एवं जब परिवादी ने अभियुक्त को वो चैक नहीं लौटाए तो अभियुक्त द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की। अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि जब उसे परिवादी के द्वारा चैक की जानकारी हुई तो उसके द्वारा क्या कार्यवाही की। अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष बयानों में परिवादी को चार चैक सिक्योरिटी पेटे देना बताया है परंतु अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन चार चैकों के नंबर, राशि व दिनांक क्या थे। ऐसे में अभियुक्त ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अभियुक्त ने दौराने जिरह प्रदर्श पी 01 चैक सुरेश को देने के लिए सुरेश के रिश्तेदारों को देना बताया है जबकि अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष ऐसे किसी भी व्यक्ति को परीक्षित नहीं कराया है जिससे अभियुक्त के कथनों की ताईद न्यायालय के समक्ष हो सके। परिवादी ने दौराने जिरह स्पष्ट रूप से अभियुक्त के द्वारा उधार ली गई राशि के पेटे चैक अभियुक्त द्वारा देना बताया है। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क उनकी कोई मदद नहीं करता है।

23- अधिवक्ता अभियुक्त का अन्य तर्क रहा है कि परिवादी ने दौराने जिरह स्वयं स्वीकार किया है कि चैक अमाउंट उसने ही भरा था एवं चैक की इबारत व हस्ताक्षर अलग-अलग पैन से है। अधिवक्ता अभियुक्त के उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर है कि गवाह पीडब्ल्यू 01 सुरेश ने दौराने जिरह कथन किया है कि यह सही है कि चैक अमाउंट उसने ही भरा था। अजखुद कहा उसके बाद हस्ताक्षर अर्जुनलाल ने किए थे। ये सही है कि चैक की इबारत व हस्ताक्षर अलग-अलग पैन से है। इस प्रकार परिवादी पीडब्लयू 01 सुरेश ने दौराने जिरह स्पष्ट रूप से चैक पर हस्ताक्षर अर्जुनलाल के द्वारा करना बताया है। गवाह डीडब्ल्यू 01 अर्जुन ने दौराने जिरह चैक पर ए से बी हस्ताक्षर उसके होना बताए हैं। न्यायालय के समक्ष यह निर्विवादित है कि चैक पर अभियुक्त अर्जुन के हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में धारा 20 परक्राम्य लिखत अधिनियम का परिशीलन किया गया जिसमें प्रावधित है कि कोई व्यक्ति किसी को हस्ताक्षरित चैक देता है, वह अन्य इबारते धारक द्वारा भरे जाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हुये देता है। अतः धारा 20 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मद्देनजर वह अन्य इबारते परिवादी द्वारा भरे जाने की आपत्ति नहीं उठा सकता है। जहां तक चैक पर लिखी इबारत अभियुक्त की हस्तलिपि में नहीं होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 1996 Cr.Law.Gen., Page

3099, सतीश जयंतीलाल शाह बनाम पंकज मशरूवाला में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि " Entire body of Cheque need not be written by manker or drawer– only signature of drawer is material" ऐसी स्थिति में चैक की इबारत किसी अन्य की हस्तलिपि में होने से प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क अधिवक्ता अभियुक्त की कोई मदद नहीं करता है।

24– इस प्रकार अभियुक्त ने किसी भी सुदृढ दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य के माध्यम से उपरोक्त उपधारणाओं को खण्डित नही किया है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त उपधारणाएँ पूर्ण रूप से अखण्डित रही है। अतः गवाह पी०ड० 1 सुरेश के बयानों तथा परिवादी के पक्ष मे की गई उपरोक्त उपधारणाओं से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष निर्विवाद रूप से साबित हो जाता है कि अभियुक्त अर्जुन द्वारा विवादित चैक प्रदर्श पी1 परिवादी को किसी वैध ऋण या दायित्व के भुगतान स्वरूप दिया गया था।

दूसरा–

25– "क्या हस्तगत मामले मे परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रावधानो की पूर्णतः पालना हुई है ?" इस संबंध मे परिवाद, परिवादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेज आदि का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि चैक संख्या 961183 दिनांकित 25.09.2016 का परिवादी द्वारा अपने बैक मे विहित अवधि मे पेश किया है और उक्त चैक दिनांक 08.12.2016 को परिवादी के बैंक द्वारा " Funds Insufficient " के रिमार्क के साथ अनादरित कर उसी दिनांक को परिवादी को लौटा दिया गया। अनादरण की सूचना के पश्चात परिवादी को तीस दिन के भीतर अभियुक्त को रजिस्टर्ड सूचना पत्र भेजना था जिसके संबंध मे परिवादी ने दिनांक 17.12.2016 को ही सूचना पत्र अभियुक्त के पते पर भेजा। परिवादी को अभियुक्त को रजिस्टर्ड सूचना पत्र की जानकारी के बाद नोटिस के 15 दिन और तत्पश्चात तीस दिन मे न्यायालय मे परिवाद पेश करना था, जिसके संबंध मे परिवादी द्वारा दिनांक 21.01.2017 को न्यायालय मे परिवाद पेश किया गया। इस प्रकार परिवादी द्वारा अधिनियम मे निर्देशित आज्ञापक प्रावधानो की पूर्णत पालना की गई है।

26– अभियुक्त डीडब्ल्यू 01 अर्जुन ने भी दौराने जिरह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि सुरेश ने उसके खाते में चैक लगाया है कि उसके खाते में पूरे रूपये नहीं होने से चैक रिटर्न हो गया। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 03 पंजीकृत डाक सूचना पत्र अपने वकील के मार्फत से उसे भिजवाया था। यह बात सही है कि उक्त रजिस्टर्ड सूचना पत्र उसे प्राप्त हो गया था लेकिन ना तो उसने सूचना पत्र में वर्णित राशि का भुगतान किया और ना ही उसने उक्त सूचना पत्र का जवाब दिया।

27– इस प्रकार हस्तगत प्रकरण मे परिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 मे निर्देशित की गई समयावधि की पूर्णतया पालना किया जाना पूर्ण रूप से प्रमाणित है।

तीसरा–

28– "क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया ?" इस संबंध मे परिवादी ने अपने परिवाद एवं साक्ष्य मे स्पष्ट रूप से यह बताया है कि अभियुक्त के द्वारा हस्तगत चैक के संबंध मे किसी प्रकार की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया। इसं सबंध मे बचाव पक्ष की ओर से किसी प्रकार की कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर पेश नही की गई है जो यह साबित करती हो कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक मे वर्णित राशि का भुगतान अंशतः अथवा पूर्णतः कर दिया गया हो। अभियुक्त डीडब्ल्यू 01 अर्जुन ने तो दौराने जिरह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया

है कि उसने आज दिन तक सुरेश चंद्र को प्रदर्श पी 1 चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया है।

29– इस प्रकार परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष सन्देह से परे यह साबित कर दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसे हस्तगत चैक विधिक दायित्व के उनमोचन पेटे दिया गया था जो " Funds Insufficient " के पृष्ठांकन के साथ परिवादी को अनादरित होकर लौटा दिया गया और रजिस्टर्ड सूचना पत्र प्रेषित करने के बाद भी अभी तक अभियुक्त द्वारा परिवादी को उक्त चैक पेटे कोई राशि अदा नहीं की गई है।

30– अतः न्यायालय के मत मे अभियुक्त अर्जुन धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषसिद्व किये जाने योग्य है।

:: <u>आदेश</u> ::

31– अतः अभियुक्त अर्जुन पुत्र मदनलाल सरगना, उम्र वयस्क निवासी धुंवाला (क), तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के आरोपित अपराध मे दोषसिद्व किया जाता है।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, जिला भीलवाड़ा

:: <u>सजा के प्रश्न पर</u> ::

32– सजा के बिन्दु पर उभय पक्षकारान को सुना गया।

33– सजा के बिन्दु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का मौखिक तौर पर यह तर्क रहा है कि अभियुक्त निर्धन है। प्रकरण मे अभियुक्त लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है। यह उसका प्रथम अपराध है। अतः नरमी का रूख अख्तयार करते हुए परीविक्षा का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अधिवक्ता अभियुक्त के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए अभियुक्त को कठोर सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

34– उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे अभियुक्त के विरूद्व धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के आपराध का आरोप युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे साबित हुआ है तथा वर्तमान मे चैक अनादरण के प्रकरणो मे लगातार बढोतरी हो रही है। इन आवश्यकताओ को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम मे विभिन्न उपधारणाओ का समावेश किया गया है। ऐसे मे यदि हस्तगत प्रकरण मे अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधो को ओर संश्रय व प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

:: <u>दण्डादेश</u> ::

35– अतः अभियुक्त अर्जुन पुत्र मदनलाल सरगना, उम्र वयस्क निवासी धुंवाला (क), तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की दोषसिद्वी मे 01 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है साथ ही अभियुक्त धारा 357(3) दण्ड प्रक्रिया सहिता के प्रावधानों के अनुसार 1,50,000/– रूपये (अक्षरे एक लाख

पचास हजार रूपये) बतौर प्रतिकर परिवादी को अदा करेगा। अदम अदायगी प्रतिकर अभियुक्त 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। उक्त प्रतिकर की राशि अभियुक्त से जुर्माने के रूप मे वसूलनीय होगी। चूंकि प्रकरण मे परिवादी को अभियुक्त से प्रतिकर की राशि दिये जाने के आदेश दिये जाते है इसलिए धारा 357(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता की पालना मे परिवादी को प्रतिकर की कोई अन्य राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होगा।

36– अभियुक्त के उपस्थिति बाबत् पेश पूर्व में निष्पादित जमानत –मुचलके निरस्त किए जाते है। अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जावे।

37– अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में बिताई गई न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा में कोई अवधि व्यतीत की गई हो तो उस अवधि को धारा 428 सीआरपीसी के तहत मूल सजा में समायोजित किया जावे।

38– अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निशुल्क अविलम्ब प्रदान की जावे।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, जिला भीलवाड़ा

39– निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, जिला भीलवाड़ा